

## द बगि पकिचर: सुलभ और सस्ती न्यायकि प्रणाली

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने संपूर्ण न्यायकि प्रणाली को आम आदमी के लिये अधिक सुलभ, कफियाती और समझने योग्य बनाने के संबंध में अपने वचिर वयक्त कये हैं।

- उन्होंने कहा कि न्याय पाने में “अत्यधिक देरी, कानूनी प्रक्रियाओं की लागत और अनुपलब्धता जैसे कारण आम आदमी तक न्याय की प्रभावी प्रदायगी को बाधति कर रहे हैं।

### प्रमुख बढि

- **समान न्याय:** अनुच्छेद 39 (A) के तहत राज्य के नीतनिदिशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy- DPSP) में सुगम्य और सस्ती न्याय व्यवस्था सुनश्चिति की गई है।
  - हालाँकि विभिन्न संरचनात्मक और क्रमबद्ध चुनौतियों के कारण इस उद्देश्य को पूरा करने की आकांक्षा धुँधली दखिती है।
- **लंबति मामलों की उच्च संख्या:** भारत के विभिन्न न्यायालयों में लंबति मामलों की संख्या लगभग 3.7 करोड़ है, इस प्रकार एक बेहतर और उन्नत न्यायकि प्रणाली की आवश्यकता है।
- **लंबति मामलों के संदर्भ में:** वर्ष 2010 में न्यायमूर्ति वीबी राव (आंध्र प्रदेश HC) ने विभिन्न न्यायालयों में 31.28 मिलियन (3.12 करोड़) लंबति मामलों (तब के लंबति मामलों की दर) के बैकलॉग (Backlog) को हटाने में 320 वर्ष लगने का अनुमान लगाया।
  - राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन (National Court Management) ने वर्ष 2012 में [सर्वोच्च न्यायालय](#) की एक रिपोर्ट में लंबति मामलों की पेंडेंसी (Pendency of Cases) और न्यायाधीशों की रक्ति के आँकड़ों का अध्ययन किया।
    - इससे पता चला कि पिछले 3 दशकों में मामलों की संख्या में 12 गुना वृद्धि हुई, जबकि न्यायाधीशों की संख्या में केवल 6 गुना वृद्धि हुई।
- **वसितारीकरण गैप:** न्यायाधीशों और मामलों की संख्या के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है।
  - अगले 3 दशकों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 15 करोड़ होने की संभावना है, जिसके लिये लगभग 75000 न्यायाधीशों की आवश्यकता होगी।
  - वास्तव में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या 1200 से कम है।

### अनुच्छेद 39 (A)

- संवधान का अनुच्छेद 39 (A) राज्य को यह सुनश्चिति करने का नरिदेश देता है कि कानूनी व्यवस्था का संचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढावा देना है और वशिष रूप से उपयुक्त कानून, योजनाओं या कसिी अन्य तरीके से मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगा।

### भारत की कमज़ोर न्यायकि प्रणाली

- **न्यायाधीशों व जनसंख्या का अनुपात:** देश में न्यायाधीशों और जनसंख्या का अनुपात बहुत सराहनीय नहीं है।
  - अन्य देशों में प्रति मिलियन लोगों के अनुपात में लगभग 50-70 तक न्यायाधीश हैं, जबकि भारत में प्रति मिलियन लोगों के अनुपात में 20 न्यायाधीश हैं।
  - हालाँकि पूरव में प्रति मिलियन लोगों पर 12 न्यायाधीशों की वृद्धि हुई है, जो सस्ती और सुलभ न्याय प्रणाली के लिये पर्याप्त नहीं है।
- **प्रौद्योगिकी का समावेश:** महामारी के बाद से ही न्यायालयों की कार्यवाही वर्चुअल आधार पर होने लगी है, जबकि पहले न्यायपालिका के मामले में प्रौद्योगिकी की बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी।
- **नयिकता में देरी:** न्यायपालिका में पदों को आवश्यकतानुसार त्वरति नहीं भरा जाता है।

- भारत 135 मिलियन से अधिक की आबादी वाला देश है और यहाँ न्यायाधीशों की कुल संख्या लगभग 25000 है।
  - उच्च न्यायालयों में लगभग 400 पद (40%) रिक्त हैं।
  - नचिली अदालतों में लगभग 35% पद रिक्त हैं।
  - हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय में रिक्तियाँ बहुत अधिक नहीं हैं। वहाँ इनकी कुल संख्या केवल 2-3 रिक्तियों के साथ 34 है।
- **प्रक्रियात्मक वलिंब:** बार-बार न्यायालयों द्वारा बार के स्थगन (Adjournments) के कारण न्याय में अनावश्यक देरी होती है।
  - उच्च न्यायापालिका के लिये **कॉलेजियम** द्वारा सफ़िराशियों में देरी के कारण न्यायिक नयुक्तकी प्रक्रिया में देरी हो रही है।
  - नचिली अदालतों के लिये राज्य आयोग/उच्च न्यायालयों द्वारा की गई भरती में देरी भी खराब न्यायिक प्रणाली का एक कारण है।

## संबंधति चुनौतियाँ

- **अधिक जागरूकता, अधिक मामले:** जहाँ तक नागरिकों में उनके अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की बात है, यह नसिंदेह बहुत आवश्यक और प्रशंसनीय है लेकिन अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी होने का अर्थ है मामलों की संख्या में वृद्धि।
  - बढ़ती जागरूकता को हलतोत्साहति नहीं कथिा जा सकता है लेकिन बढ़ते मामलों से कुशलतापूर्वक नपिटा जाना चाहयि।
- **कानूनों का अतवियापति:** भारत में केंद्रीय और राज्य स्तर पर कई कानून मौजूद हैं, जो प्रकृति में काफ़ी समान हैं।
  - यह फूहड़पन (Clumsiness) और अराजकता की स्थिति पैदा करता है, इन कानूनों को संहतिाबद्ध कथिा जाना चाहयि और जो नरिर्थक है उसे नरिस्त कथिा जाना चाहयि।
  - यदकानून को सरल भाषा में प्रारूपति कथिा जाता है, तो संभवतः कराधान मामले से संबंधति, वशिष रूप से न्यायालय में दायर कथि जाने वाले मामलों की संख्या को भी कम कथिा जा सकता है।
- **मूल्यांकन का अभाव:** जब एक नया कानून बनता है, तो सरकार द्वारा न्यायापालिका पर कतिना बोझ डाला जाना है, इसका कोई न्यायिक प्रभाव आकलन नहीं है।
  - इसकी वजह से मुकदमों की संख्या में वृद्धिकी संभावना या अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दथिा जाता है।

## आगे की राह

- **नयुक्तकी प्रणाली को व्यवस्थति करना:** रिक्तियों को बना कसिी अनावश्यक वलिंब के भरा जाना चाहयि।
  - न्यायाधीशों की नयुक्तकी के लिये एक उच्चति समय-सीमा नरिधारति की जानी चाहयि और इसके लिये अग्रमि में सफ़िराशियों दी जानी चाहयि।
  - संवधान में अखलि भारतीय न्यायिक सेवा एक महत्त्वपूर्ण कारक है जो नशिचति रूप से भारत में एक बेहतर न्यायिक प्रणाली स्थापति करने में मदद कर सकता है।
- **प्रौद्योगिकियों का उपयोग:** लोग अपने अधिकारों के बारे में अधिक-से-अधिक जागरूक हो रहे हैं और यही कारण है कअदालत में दायर मामलों की संख्या भी बढ़ रही है।
  - इससे नपिटने के लिये न्यायिक अधिकारियों को प्रशकिषति करने की आवश्यकता है, न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरा जाना चाहयि, इसके अलावा प्रौद्योगिकी का उपयोग वशिष रूप से **कृतरमि बुद्धमितता** को प्रोत्साहति कथिा जाना चाहयि।
- **वविाद समाधान:** न्यायिक प्रणाली पर लोगों का वशिवास बनाए रखने के लिये कम समय-सीमा के भीतर वविादों का नपिटारा करना महत्त्वपूर्ण है।
  - देर से न्याय मलिने के कारण न्याय प्रणाली पर वशिवास खतम होता जा रहा है।
- **न्यायालय से बाहर समझौता:** हर मामले को न्यायालय परसिर के भीतर हल करना अनविर्य नहीं है, अन्य संभावति प्रणालियों को भी एक्सेस कथिा जाना चाहयि।
  - वैकल्पिक वविाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की भी आवश्यकता है जिसके लिये **मध्यस्थता और सुलह अधनियमि** में तीन बार संशोधन कथिा गया है ताकथिह सुनशिचति हो सके कलियोग वाणज्यिक मुकदमेबाज़ी मोड के आधार पर मामलों को मध्यस्थता, सुलह या मध्यस्थता द्वारा सुलझा सकें।
- **स्थानीय भाषाओं का उपयोग:** संपूर्ण न्यायिक प्रणाली को आम आदमी के लिये और अधिक समझने योग्य बनाने हेतु न्यायालयों में स्थानीय भाषाओं का उपयोग करना एक तरीका हो सकता है।
  - न्यायालय में स्थानीय भाषाओं के उपयोग से आम आदमी को कानून, न्यायालयी कार्यवाही के तहत सुनवाई और अपने अधिकारों की बेहतर समझ होगी।
  - न्यायालय में स्थानीय भाषाएँ ज़लिा स्तर तक पहले से ही अनुमन्य हैं। कुछ उच्च न्यायालयों में भी स्थानीय भाषाओं में कार्य कथिा जाता है।

## अखलि भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS):

- **AIJS के संबंध में:**
  - सरकार, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से अधिनस्थ न्यायालयों हेतु अधिकारियों की भरती के लिये एक अखलि भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना हेतु एक वधियक को अंतमि रूप देने की प्रक्रिया में है।
  - अखलि भारतीय परीक्षण हेतु मंजूरी देने वालों को उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों द्वारा नयुक्त कथिा जाएगा।
  - AIJS परीक्षा चार ज़ोन्स पूर्व, पश्चमि, उत्तर और दक्षणि में आयोजति की जाएगी।
- **संवधानिक प्रावधान:**
  - वर्ष 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से AIJS के प्रावधान को संवधान के अनुच्छेद 312 में शामिल कथिा गया था।
- **पृष्ठभूमि:**
  - यह कदम वर्तमान UPSC परीक्षा पैटर्न के अनुरूप है, जहाँ इस तरह की परीक्षाएँ कई भाषाओं में आयोजति की जाती हैं।
- **भाषा:** सरकार ने 22 भाषाओं में AIJS परीक्षा आयोजति करने की योजना बनाई है।
- **संबंधति समस्या:**

- चूंकि निचिली अदालतों में मामलों का नर्णय स्थानीय भाषाओं में कयि जाने का तर्क दयिा जाता है, इसलयि ऐसी आशंकाएँ हैं कि किसी वशिष राज्य का वयक्त किसी अन्य राज्य में सुनवाई कैसे कर सकता है जहाँ पूरी तरह से अलग भाषा है।
  - लेकनि सरकार का वचिर है कि IAS और IPS अधिकारियों ने भाषा की बाधा को पार करते हुए वभिन्न राज्यों में सेवा प्रदान की है।

## नषिकर्ष

- एक बढिया न्यायकि प्रणाली (Sound Judicial System) वह है जो एक वस्तुनषिट जाँच, साक्ष्य के नषिपक्ष वशिलेषण और सभी नागरकिों को समान रूप से न्याय प्रदान करने पर आधारति है।
- सरकार को मामलों की पेंडेंसी कम करने के लयि कठोर और तेज़ी से कार्रवाई करनी चाहयि क्योक न्याय में देरी न्याय से वंचति रहने के समान ही है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-big-picture-accessible-and-affordable-judicial-system>

